कार्यालय, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी॰टी॰नगर, भोपाल

कमांक / प्रशासन / आविभो / 2546 / 2025 भोपाल, दिनांक 15 / 04 / 2025

Tender Document
Technical-Cum-Commercial Bid

1. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी. नगर भोपाल में स्थित है। उक्त 03 भवन, सभागृह एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड सेंवाऐं 01 वर्ष की अवधि के लिए दरें आमंत्रित की जाती है।

2. आदर्श विद्यालय भोपाल भवन एवं परिसर में सुरक्षा एजेंसी की सुरक्षा गार्ड सेवाऐं संतोषजनक पायी जाती है। तो समान शर्तों और सेवा शुल्क पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सुरक्षा सेवाऐं आगामी 01 वर्ष की अवधि हेतु बढायी जा सकती है। एवं भोपाल जिलाध्यक्ष द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों की समय–2 पर वेतन दरों में वृद्वि होने पर सुरक्षा गार्ड वेतन दरें भी श्रमिकों की श्रेणी में आने उसी आधार पर दरें निर्धारित होने पर वृद्वि का प्रावधान नियमानुसार रहेगा।

3. आदर्श विद्यालय परिसर तात्या टोपे नगर भोपाल में स्थित है।

4. यह आमंत्रण ऐसे सुरक्षा एजेंसियों और व्यक्तियों के लिए खुला है, जिनके पास सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नतम 5 वर्ष का अनुभव है। एवं वर्तमान में मध्यप्रदेश के किसी सरकारी विभाग / निगम मंडल, अन्य उपकम एवं व्यवसायिक संस्था को अनुबंध पर सेवाऐं प्रदान कर रहा है। सुरक्षा एजेंसी को P.F. & ESIC मध्यप्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण का पंजीकरण एवं मध्यप्रदेंश के गृह विभाग का लायसेंस धारी होना आवश्यक है।

5. निविदाकार आदर्श उ.मा. विद्यालय भोपाल में 16 सुरक्षा गार्ड 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रति गार्ड 08 घंटे की ड्यूटी के अनुसार मासिक दर पर कोटेशन दरें प्रदान करना होगा। जिसमें अनुबंध अवधि के दौरान श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान, Relieving Charges, Provident Fund, Insurence Service Charges & All The Taxes का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा भुगतान किया जावेगा। एवं प्रतिमाह उपरोक्त टेक्स जमा के चालान,दस्तावेज विद्यालय में प्रस्तुत करना होंगे।

6. यदि निविदाकार द्वारा निविदा में दरें श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम का उल्लेख करता है या सर्विस चार्ज एवं कर का उल्लेख नहीं करता है। तो ऐसी वित्तीय बोली का अस्वीकार किया जावेगा।

7. कोटेशनों में उल्लेखित दर सुरक्षा एजेंसियों के चयन के लिए एकमात्र मापदंड नहीं है। ऐसी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत निविदाऐं जिनके पास 05 वर्ष का अनुभव नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं उनकी निविदाऐं अस्वीकार कर दी जावेगी।

8. सुरक्षा एजेंसियों को निर्धारित टेन्डर फार्म दिनांक 15 / 04 / 2025 से 28 / 04 / 2025 तक कार्यालयीन समय अपरान्ह 12:00 से 03:00. बजे तक विद्यालय वेबसाईट में उल्लेखित शुल्क राशि पर प्राप्त करना होगा।

9. सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त निविदाऐं दिनांक 28/04/2025 को अपरान्ह 04:30 बजे सार्वजनिक रूप से विद्यालय कक्ष में प्राचार्य महोदया, समिति सदस्यों एवं सुरक्षा एजेंसियों/प्रतिनिधियों/प्रोपराईटर्स की उपस्थिति में खोली जावेगी।

10. सेवा उपार्जन के अंतर्गत निविदाकार द्वारा प्रस्तावित प्रबंधकीय शुल्क ऐसा हो जो निर्धारित पारिश्रमिक एवं वैधानिक देयों के सापेक्ष संतुलित हो तथा मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम न हो।

11. निविदाकार संस्था के लिए यह अनिवार्य हो कि वह अग्नि–सुरक्षा से संबंधित उपकरणों के प्रयोग एवं आपदा–प्रतिक्रिया से संबद्ध तकनीकि दक्षता का ऐसा प्रमाणीकरण धारित करें जो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त हो एवं निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का हो। निविदा प्रक्रिया के पश्चात् प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा।

12. सुरक्षा एजेंसियों को निविदा फार्म, चाहे गए दस्तावेज रजिस्ट्रेशन प्रति सह 75,000/– अर्नेस्ट मनी धनादेश/बैंक ओवर ड्राप्ट के रूप में जमा करना होगी। दरें मान्य न होने की स्थिति में जमा अर्नेस्ट मनी 15 दिवस के भीतर संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को लौटा दी जावेगी।

13. सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त दरों सह दस्तावेज, अर्नेस्ट मनी एवं अन्य रजिस्ट्रेशन प्रति अप्राप्ति पर उन निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

14. सुरक्षा सेवाऐं अवधि दिनांक 01/05/2025 से 30/04/2026 के लिए मान्य होगी। एवं सेवाऐं संतोषप्रद पाए जाने व दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर आगामी 01 वर्ष तक सेवाओं में वृद्धि की जा सकेगी।

15. जिस सुरक्षा एजेंसी की दरें मान्य होती है। उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी राशि रू. 75,000/– सुरक्षा निधि के रूप में सेवा अवधि तक विद्यालय में जमा रहेगी। स्वीकृत सेवा अवधि के मध्य में सेवाऐं संबंधित सुरक्षा एजेंसी की और से प्रभावित करने पर जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात् कर ली जावेगी।

16. विद्यालय भवनों एवं अन्य आंतरिकी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ रखने का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का रहेगा। सेवाअवधि दौरान किसी प्रकार की चोरी, क्षति होने पर क्षति का आकलन से सुरक्षा एजेंसी से वसूली की जावेगी।

17. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रदाय सुरक्षा गार्डों पर किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण तो दर्ज नहीं है। इसकी पुष्टि/प्रमाणीकरण सुरक्षा एजेंसियों को कर प्रदान करना होगा।

18. सुरक्षा गार्ड उम्र 25 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य की आयु के ही स्वीकार योग्य होंगे। एवं शैक्षणिक योग्यता दसवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

19. सुरक्षा एजेंसी को भुगतान स्वीकृत मान्य दरों पर मासिक सेवाऐं संतोषप्रद पाए जाने पर आगामी माह की 05 तारीख तक किया जावेगा।

20. सुरक्षा सेवा अवधि दौरान गार्डों को भुगतान में अनियमितता एवं P.F. & ESIC & Other Tax Deposit दायित्वों का समयसीमा में निर्वहन न किए जाने पर सेवाऐं समाप्ति का प्राचार्य को विशेषाधिकार होगा।

उपप्राचार्य	प्राचार्य
आदर्श उ. मा. विद्यालय	आदर्श उ. मा. विद्यालय
टी. टी. नगर भोपाल	टी. टी. नगर भोपाल